न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार/ कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ)
पीठासीन अधिकारी :– श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/158 /18	12.06.2018	29.06.2018

उनवान

1. अतरसिंह पुत्र नत्थू पौत्र छोटू
2. कवंरसिंह पुत्र नत्थू पौत्र छोटू
3. प्रेमसिंह पुत्र नत्थू पौत्र छोटू
4. राजो बाई पुत्री नत्थू पौत्री छोटू

जातियान चमार निवासियान ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

..................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार रामगढ।

.... प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1471 रकबा 0.14 हैक्ट0 जिसका साबिक खसरा नम्बर सम्वत 2058 में 1662 / 1275 रकबा 11 बिस्वा व सम्वत 2020 में साबिक खसरा नम्बर 925 मिन वाके ग्राम मालपुर तहसील रामगढ में स्थित आराजी वाद में विवादित है। हम वादीगण के पिता नत्थू विवादित आराजी का काबिज काश्त गैरखातेदार था जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व उससे पूर्व जमाबन्दी सम्वत 2013 में विवादित आराजी पर गैरखातेदार दर्ज है उक्त आराजी वादीगण की मौरूसी आराजी है जिस पर वादीगण अपने पिता नत्थू कू फुट पर काबिज है और उक्त आराजी कस्टोडियन की आराजी नही है। हाल सैटलमेन्ट सम्वत 2058 में विवादित आराजी के कब्जे काश्त के खाने में नत्थू के स्थान पर नन्नू दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज कर दिया जबकि वादीगण के पिता का नाम नत्थू है। उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने बाबत हम वादीगण ने अप्रार्थी सं0 1 के यहां आवेदन किया तो प्रतिवादी ने दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया और कहां कि आदेश कराकर लाओं।

अतः दावा पेश कर निवेदन है कि डिक्री बाबत इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राजात बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर यह करार दिया जावे कि आराजी हाल खसरा

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर) राज0

नम्बर 1471 रकबा 0.14 हैक्ट0 के काबिज काश्तकार खातेदार है और इसी प्रकार काबिज काश्तकार खातेदार कागजातमाल में घोषित किया जावे व सम्वत 2058 में वादीगण के पिता का नाम नत्थू के स्थान पर नन्नू गलत दर्ज हो गया है उसको दुरूस्त कराकर नत्थू दर्ज कराने के अधिकारी है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट / शिविर मुख्यालय रामगढ में दिनांक 29.06.2018 को पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड में मुताबिक वाके ग्राम मालुपर जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 के खाता सं0 450 पर नन्नू पुत्र ......चमार सा0 मुबारिकपुर पटटेदार गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। भू.प्रबन्ध विभाग की ख़तौनी के खाता सं0 315 में नन्नू पुत्र ....चमार सा0 मुबारिकपुर पटटेदार गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। भू. प्रबन्ध (सैटलमेन्ट) जमाबन्दी सम्वत 2028 के खाता सं0 80 में नत्थू पुत्र ....कौम चमार सा0 मुबारिकपुर पटटेदार गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम मालपुर सम्वत 2020 के कॉलम सं0 4 में नत्थू पुत्र...... चमार सा0 देह पटटेदार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम मालपुर की जमाबन्दी सम्वत 2016 से 2019 के कॉलम सं0 4 में पल्टम मु. खाता नम्बर 456 बकाश्त नत्थू पुत्र ....चमार सा0 देह पटटेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त रिकार्ड के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण के पिता नत्थू विवादित आराजी का काबिज काश्त गैरखातेदार था जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व उससे पूर्व जमाबन्दी सम्वत 2013 में विवादित आराजी पर गैरखातेदार दर्ज है उक्त आराजी वादीगण की मौरूसी आराजी है जिस पर वादीगण अपने पिता नत्थू कू फुट पर काबिज है और उक्त आराजी कस्टोडियन की आराजी नही है। हाल सैटलमेन्ट सम्वत 2058 में विवादित आराजी के कब्जे काश्त के खाने में नत्थू के स्थान पर नन्नू दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज कर दिया जबकि वादीगण के पिता का नाम नत्थू है। उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त कर वादीगण को काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वादीगण का वाद संलग्न दस्तावेजात के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1471 रकबा 0.14 हैक्ट0 का वादीगण को काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तथा व सम्वत 2058 में

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0

वादीगण के पिता का नाम नत्थू के स्थान पर नन्नू गलत दर्ज हो गया है उसे कलमजन कर उसके स्थान पर नत्थू दर्ज करे व वादीगण को समान भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत न्याय आपके द्वार / कैम्प कोर्ट मुख्यालय रामगढ)
पीठासीन अधिकारी :— श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/158 /18	12.06.2018	29.06.2018

उनवान

1. अतरसिंह पुत्र नत्थू पौत्र छोटू
2. कवंरसिंह पुत्र नत्थू पौत्र छोटू
3. प्रेमसिंह पुत्र नत्थू पौत्र छोटू
4. राजो बाई पुत्री नत्थू पौत्री छोटू
   जातियान चमार निवासियान ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर।

....................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार रामगढ।

.... प्रतिवादी

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद संलग्न दस्तावेजात के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1471 रकबा 0.14 हैक्ट0 का वादीगण को काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तथा व सम्वत 2058 में वादीगण के पिता का नाम नत्थू के स्थान पर नन्नू गलत दर्ज हो गया है उसे कलमजन कर उसके स्थान पर नत्थू दर्ज करे व वादीगण को समान भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज करने हेतु तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.06.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज0